फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला–अजमेर

अमिति धोबी ..... बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा 136 LRAC ..... नंबर 13/ ..... सन् 2021

2021/15

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.1.2021	प्रार्थीया धोबी पत्नि गोदू व गीता, किशन भाई एव गवाह धोबी पत्नि कानाराम व गोरख पुत्र रतन जाति धोबी निवासी मसूदा स्वयं उपस्थित। उन्हे सुना गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एव तहसीलदार मसूदा की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र आधार कार्ड एव रिपोर्ट पटवारी हल्का एव भू अभिलेख निरीक्षक तथा तहसीलदार मसूदा की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम मसूदा की जमाबन्दी सम्वत 2072-2076 के खाता संख्या 235 के खसरा नम्बर 852, 869, 870, 873, 875, 876, 877, 879, 880, 881 व खाता संख्या 477 के खसरा संख्या 2525/856, 853, 854, 855, 858 859, 862, 872, 874 व खाता संख्या 234 के खसरा संख्या 842, 868 मे पटवारी भू अभिलेख निरीक्षक एव तहसीलदार मसूदा की अनुशंसा के आधार पर चन्ना के स्थान पर किशन भाई [illegible] भूरी के स्थान पर गीता बे[illegible] लाल शुद्ध करने के आदेश पा[illegible] शेष अंकन यथावत रहेगा। तहसीलदार मसूदा [illegible]नुसार वाजिब मे अमल करावे। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद दफ्तर दाखिल हो।	अमिति धोबी गीता [illegible] कानाराम Shankar Jain [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.03.24 16:23:22 IST
Reason: SelfAttested

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.